

आदेश

शासनादेश संख्या-30 दिनांक 06 फरवरी 2018 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्रावधानों के तहत जिला पूर्ति अधिकारी अधिष्ठान, चम्पावत के सुगम एवं दुर्गम कार्यस्थलों की सूची संलग्न कर उक्त अधिनियम की धारा-09 के तहत सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए एवं धारा-12 के तहत दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची अवरोही क्रम में निम्नानुसार प्रख्यापित की जा रही है :-

सुगम से दुर्गम हेतु पात्र पूर्ति निरीक्षकों की सूची

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम
1	श्री दीपक ठाकुर
2	श्री भुवन राम
3	श्री प्रकाश सिंह फर्त्याल
4	श्रीमती अनीता पन्त
5	श्री राकेश कुमार विश्वकर्मा
6	श्री संजय कुमार

दुर्गम से सुगम हेतु पात्र पूर्ति निरीक्षकों की सूची

दुर्गम में चिन्हित कार्यस्थलों में वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम कार्य अवधि पूर्ण नहीं की गयी है, किन्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रथमतः सुगम से दुर्गम में अनिवार्य स्थानान्तरण होने है। स्थानान्तरण समिति द्वारा सुगम से दुर्गम क्षेत्रों में स्थानान्तरण के फलस्वरूप सुगम क्षेत्रों की रिक्तियों पर विचार किया जायेगा। दुर्गम स्थलों की रिक्ति कम होने एवं सुगम क्षेत्रों में वर्तमान में अधिक पूर्ति निरीक्षक कार्यरत होने के कारण सुगम क्षेत्रों में स्थानान्तरण के लिये समस्त पूर्ति निरीक्षक अपने विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

सुगम से दुर्गम हेतु पात्र चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सूची

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम
1	श्री अनिल कुमार
2	श्री विरेन्द्र सिंह चौहान
3	श्रीमती मुन्नी देवी

दुर्गम से सुगम हेतु पात्र चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सूची


क्र०सं०	कर्मचारी का नाम
1	श्री डूंगर सिंह बोहरा

अतः उक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वह शासनादेश संख्या-118/XXX-2/2019 दिनांक 23 अप्रैल 2018 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा-09 एवं 12 के अनुसार सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम कार्यस्थलों में स्थानान्तरण हेतु दिनांक 15.05.2019 तक अपने विकल्प पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक विकल्प उपलब्ध न कराने वाले कार्मिकों के पात्रता के सापेक्ष अन्य कार्मिकों के विकल्प के पश्चात् शेष रिक्त कार्यस्थलों में स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

जिला पूर्ति अधिकारी,
चम्पावत।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, चम्पावत।
संख्या 101 /जिपूअ/स्थाना0/2019-20 दिनांक मई 10, 2019

- प्रतिलिपि :- निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1:- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, चम्पावत को इस आशय से कि वह उक्त आदेश एवं संलग्न सूची को एन0आई0सी0 की बैवसाइड में अपलोड करने का कष्ट करे।
 - 2 :- समस्त पूर्ति निरीक्षक, जनपद चम्पावत।
 - 3 :- समस्त कार्मिक, जिला पूर्ति कार्यालय, चम्पावत।
 - 4 :- समस्त कार्मिक, जनपद के समस्त खाद्यान्न भण्डार।



जिला पूर्ति अधिकारी,
चम्पावत।

दुर्गम कार्यस्थलों की सूची

क्र०सं०	दुर्गम कार्यस्थल
1	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, धूनाघाट
2	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, बाराकोट
3	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, मंच एवं तामली

सुगम कार्यस्थलों की सूची

क्र०सं०	सुगम कार्यस्थल
1	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, लोहाघाट
2	राजकीय खाद्यान्न भण्डार, चम्पावत
3	जिला पूर्ति कार्यालय, चम्पावत
4	रेलशीर्ष गोदाम, टनकपुर
5	तहसील श्री पूर्णागिरी टनकपुर



जिला पूर्ति अधिकारी,
चम्पावत।